


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुरा
(नजारत अनुभाग)

कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- 4247/कम्यू./150/जी.एस.टी./को.नि./2018 दिनांकित 20.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद न्यायालय, गोरखपुरा के प्रयोगार्थ क्रय किये जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान पर नियमानुसार टी.टी.एस. की कटौती करते हुए जी.एस.टी. का भुगतान जनपद न्यायालय, गोरखपुरा द्वारा किया जाना है। जी.एस.टी. का भुगतान किये जाने से पूर्व जी.एस.टी. का पंजीकरण कराये जाने एवं जी.एस.टी. रिटर्न भरने हेतु Tax Consultant/C.A. की सेवा प्राप्त करने के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

अतः इच्छुक Tax Consultant/C.A. केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, गोरखपुरा में दिनांक 10.07.2024 तक अपना कोटेशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक-


(सुबोध वाष्णैय)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं.-02,
जनपद न्यायालय, गोरखपुरा

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- नाजिर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुरा
- 2- नाजिर, सगर कलेक्ट्रेट, गोरखपुरा
- 3- नाजिर, तहसील सदर, गोरखपुरा
- 4- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुरा
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुरा
- 6- जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुरा में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 7- सूचना पट्ट, जनपद न्यायालय, गोरखपुरा पर चस्पा करने हेतु।
- 8- रेलवे जंक्शन, गोरखपुरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 9- बस स्टेशन, गोरखपुरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 10- सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, गोरखपुरा को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुरा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।